XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1066–एक/12 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बनेड़िया तहसील जावद जिला नीमच स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 1 में से 2 हैक्टर भूमि का भूमिस्वमी स्वत्वों पर पट्टा आवेदक को वर्ष 83–84 के पूर्व से कब्जा होने के कारण विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–19 (4)/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–6–89 द्वारा प्रदान किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर इन्द्राज किया गया । इसके उपरांत वर्ष 92–93 के खसरे में नायब तहसीलदार, टप्पा सिंगोली के प्र0क0 35/अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30–6–93 का उल्लेख कर आवेदक का नाम भूमि से कम करके भूमि शासकीय घोषित की गई है । नायब तहसीलदार के उक्त आदेश एवं खसरे में की गई उक्त प्रविष्टि के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन दखल रहित अधिनियम, 1984 के तहत विधिवत प्रकिया का पालन कर तथा आवेदक को पात्र पाए जाने के पश्चात प्र0क0 4/अ–19 (4)/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–6–89 द्वारा किया गया था । व्यपस्थापन किए जाने के उपरांत आवेदक का नाम खसरों में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया जो वर्ष 91–92 तक निरंतर रहा.

यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश को विधि अनुसार बिना वरिष्ठ अधिकारी से पुनरावलोकन की अनुमति लिए अथवा स्वमेव निगरानी में लिए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता है । वर्ष 92–93 के खसरे में उक्त पट्टा नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली द्वारा प्र0क0 35/अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30.6.93 द्वारा निरस्त किए जाने का उल्लेख है जबकि उक्त प्रकरण तहसील में उपलब्ध नहीं है और ना ही उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को कोई सूचनापत्र दिया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया । यह भी कहा गया कि खसरे में आवेदक का नाम काट कर भूमि शासकीय दर्ज करने की प्रविष्टि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा नायब तहसीलदार के कथित प्र0क0 35/अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30.6.93 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली द्वारा प्र0क0 35/अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30.6.93 द्वारा आवेदक का पट्टा निरस्त किए जाने का खसरे में स्पष्ट उल्लेख है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत खसरा वर्ष 81–82 से 85–86 वर्ष 86–87 से 90–91, वर्ष 91–92 से 96–97 तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 89–90, 90–91 व

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1066–एक/12 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	92–93 का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदक को विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–19 (4)/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–6–89 द्वारा ग्राम बनेडिया तहसील जावद स्थित भूमि सर्वे नं. 1 में से 2 हैक्टर कृषि भूमि का पट्टा दिया गया था । जिसके आधार पर आवेदक का नाम खसरों में भूमिस्वामी के रूप में वर्ष 91–92 तक दर्ज है । वर्ष 92–93 के खसरे में नायब तहसीलदार, टप्पा सिंगोली द्वारा प्र0क0 35/अ–6/92–93 आदेश दिनांक 30–6–93 द्वारा पट्टा निरस्त किए जाने का उल्लेख किया गया है किंतु उक्त प्रकरण तहसील न्यायालय में उपलब्ध नहीं है जैसाकि तहसीलदार, तहसील सिंगोली जिला नीमच के पत्र कमांक 1373/रीडर–2/14 दिनांक 28–8–14 से स्पष्ट है । उक्त प्रकरण किस प्रकार कायम किया गया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है ना ही किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रकरण कायम करने की कोई अनुमति दी गई है । तहसीलदार के उक्त पत्र के अनुसार उक्त प्रकरण शोध उपरांत भी नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक के इस तर्क में बल है कि उक्त आदेश विधिपूर्ण सुनवाई कर पारित नहीं किया गया है । आवेदक को दिए गए पट्टे को निरस्त करने के संबंध में किसी वरिष्ठ न्यायालय से कोई अनुमति अथवा पुनरावलोकन की कोई अनुमति ली गई ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में आवेदक के इस तर्क में बल है कि राजस्व अभिलेखों में से	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

उसका नाम बिना किसी विधिक प्रकिया के कम किया गया है जो न्यायसंगत एवं विधिसंगत नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है और नायब तहसीलदार, टप्पा सिंगोली द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30.6.1993 एवं उक्त आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों से आवेदक का नाम कम करने संबंधी दर्ज प्रविष्टि निरस्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक का नाम पट्टा अनुसार पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

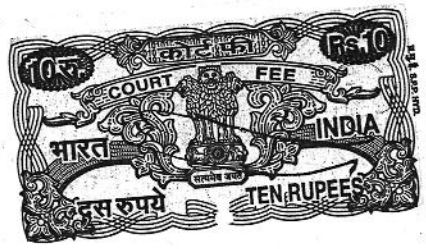

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 11:2012 निगरानी

लक्ष्मण ---------आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन ---------अनावेदक

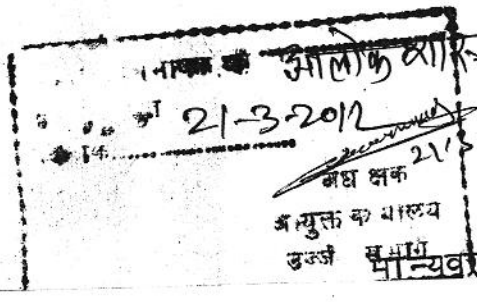

माननीय महोदय,